Ensuring the right to live with dignity

Reaching out for the help of Migrants by Legal services Institutions

M P STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

FLAGGING OFF THE 5 DAY PROGRAMME

LEGAL SERVICES AND HELP DESK FOR MIGRANTS

विधिक सेवा ने ठाना, प्रदेश से एक भी मजदूर भूखा प्यासा न गुजरे

संवाददाता, जबलपुर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने तय किया है कि पूरे एक सप्ताह तक एक भी मजदूर प्रदेश से भूखा प्यासा नहीं गुजरेगा। प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजय यादव के निर्देश पर सोमवार से पूरे राज्य में एक साथ कैम्प लगाए गए और जजों ने मौके पर जाकर मजदूरों की सुध ली। सिर्फ जबलपुर के बरेला और बरगी में कैम्प लगाकर करीब 5 सौ मजदूरों को नाश्ता, फल और पानी बाँटा गया। सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह व जिला सत्र न्यायाधीश संजय शुक्ला ने कैम्पों में जाकर मजदूरों से उनके हाल जाने। उप सचिव डीके

पांच दिवसीय शिविर के लिए हेल्प डेस्क का शुभारम्भ किया गया

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर का निर्देश

Water the elixir of life

- help desk facility at entry/ exit point
- Coordination with Collector and SP
- Ensuring clean drinking water
- Publication of helpline number 15100
- Coordination with State Level Authorities for safe transit and transportation of Migrants

2 TUESDAY, 19 MAY 2020 INDORE

HC team distributes essentials in camp

PITHAMPUR

Staff Reporter

Principal Registrar Anil Verma of Indore Bench of High Court and Registrar Virendra Bahadur Singh with their support staff today reached at a camp near Sanjay Jalashay Pithampur to distribute essentials and food to the thousands of migrants passing by NH-3.

Registrar Virendra Bahadur Singh said that all the officials of the HC Indore bench, camped at 11.00 am today with food packets to the migrant labourers. Looking at very tough and pathetic condition of the migrant workers we are all moved and this is a human gesture.

Humanitarian support of similar nature was extended by the same team outside the Best Price store in Indore. We will continue to distribute this way in future also, wherever needed. In addition to this, Register Veer Bahadur Singh said that on a personal level Rs 21,000 thousand contributed to PM Care Fund. HC Indore staff has jointly contributed from their salries to the PM care fund.

HC team distributing essentials.

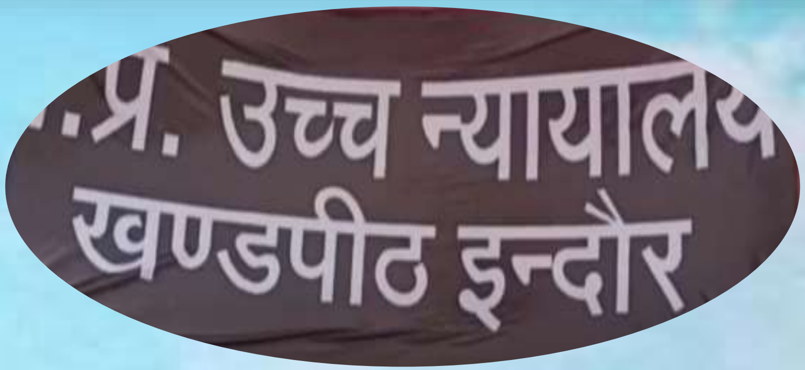

HCLSC rendering services in mission mode

Pursuant to the nation wide lockdown declared by the government, large number of migrant laborers and daily wagers living away from their native places lost their jobs due to ban on economic activities. As a result they started returning back to their respective places. It was observed that large number of migrants passing through the entry and exit points throughout the State are facing problems such as lack of proper shelter, food and drinking water.

In order to help people returning back to their native places DLSA's and TLSC's has taken up the cause to serve the needy persons through help desks established at district headquarters and several outlying stations under the aegis of MPSLSA Jabalpur.

.

HIGHLIGHTS OF WORK DONE BY DLSA'S -

DLSA- ALIRAJPUR

DLSA- ANUPPUR

DLSA- ASHOKNAGAR

DLSA- BALAGHAT

DLSA- BARWANI

DLSA- BETUL

DLSA- BHIND

DLSA- BHOPAL

DLSA- BURHANPUR

DLSA- CHHATARPUR

DLSA- CHHINDWARA

DLSA- DAMOH

DLSA- DATIA

DLSA-DEWAS

DLSA- DHAR

DLSA- DINDORI

DLSA- GUNA

DLSA- GWALIOR

DLSA- HARDA

DLSA-HOSHANGABD

DLSA- INDORE

DLSA- JABALPUR

- DLSA-JHABUA

DLSA-KATNI

DLSA- KHANDWA

DLSA- MANDLA

DLSA-MANDLESHWAR

DLSA-MANDSAUR

DLSA- MORENA

DLSA- NARSINGHPUR

DLSA-NEEMUCH

DLSA-PANNA

DLSA- RAISEN

DLSA-RAJGARH

DLSA-RATLAM

DLSA-REWA

DLSA- SAGAR

DLSA- SATNA

DLSA-SEHORE

DLSA-SEONI

DLSA- SHAHDOL

DLSA- SHAJAPUR

DLSA-SHEOPUR

DLSA-SHIVPURI

DLSA- SIDHI

DLSA- SINGRAULI

DLSA-TIKAMGARH

DLSA- UJJAIN

DLSA-UMARIYA

DLSA- VIDISHA

SPREADING AWARENESS THROUGH PAMPHLETS & POSTERS

Success story DLSA ANUPPUR

- Migrant women labour Diva Bai w/o Raghuraj, a resident of village Deori, Katangi District Sagar, who is a member of the itinerant blacksmith family was in Ambikapur Chhattisgarh for employment along with her family members. Lock down imposed due to covid -19 outbreak created a crisis of livelihood. The woman was 8 months pregnant, due to which she was returning back to her home district Sagar with her mother-in-law. While traveling on foot from Chhattisgarh, she reached to Migrant workers camp Help desk of DLSA Anuppur. DLSA officials interacted with the pregnant women and asked her about their problems. She wanted to go to her home district Sagar. Keeping in view the condition of the woman, she was taken to the hospital and examined in the district hospital Anuppur. It was proposed to keep her for delivery in the district hospital itself, but she requested that there is no male member of her family to look after her. She has family members in sagar who will take care of her. On which officials of dlsa, after discussing the matter with the officials of the local administration, made arrangements to send the woman to her home village Sagar.

Highlights of the activities carried out by Tehsil legal service committees at outlaying stations.

TLSC- PATAN

TLSC- BURAHR

TLSC- KATANGI

TLSC - JAVAD

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

TLSC-BANDA

TLSC- GOHAD

TLSC- LAHAR

TLSC- BADWAH

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

TLSC-HATA

TLSC – SONKACHH

TLSC- BARALI

“Help those less fortunate than you, for it is real human existence.”

DLSA-NEWS

विधिक साक्षरता शिविर में श्रमिकों को खाद्य सामग्री का वितरण किया

आष्टा| मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार राजवर्धन गुप्ता जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर डाबरी क्रासिंग पर श्रमिकों को खाद्य सामग्री वितरण की।

तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा की अपर जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष सरिता वाधवानी ने मंगलवार को तहसील आष्टा के डाबरी क्रासिंग के पास इंदौर-भोपाल हाईवे पर बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को आवश्यक सुविधा पीने का स्वच्छ पानी व खाद्य सामग्री आदि वितरित किए जाने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में तहसील न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ताज मोहम्मद ताज, एडवोकेट सुरेंद्र परमार, धीरज धारवां, कुलदीप शर्मा, कांतीलाल जोशी, भूपेश जामलिया, तहसील विधिक सेवा समिति के कार्यरत कर्मचारी राजेश पठानी, पैरालीगल वालेंटियर्स मुकेश राठौर, राकेश शर्मा उपस्थित थे। कई जिलों की ओर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को पहले सेनेटाईजर द्वारा उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया। उसके उपरांत शीतल पेयजल व नास्ता उपलब्ध कराया गया।

बायपास पर प्रवासी मजदूरों को बांटे मूंगफली और नमकीन के पैकेट

बायपास पर मजदूरों को खाद्य सामग्री देते प्राधिकरण के सदस्य। ● सौजन्य

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बुधवार को बायपास पर शिविर लगाकर प्रवासी मजदूरों की सहायता की। उन्हें न सिर्फ भोजन-पानी उपलब्ध कराया, अपितु वाहनों के जरिये उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना भी किया। प्राधिकरण ने मजदूरों को मूंगफली, नमकीन आदि खाद्य सामग्री भी दी जिससे उन्हें प्रदेश के बाहर भी खाने की दिक्कत नहीं हो। प्राधिकरण के सचिव एडीजे मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शिविर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार लगाया गया है। यह चार दिन चलेगा। बुधवार को राऊ सर्कल के पास इंदौर-देवास बायपास पर यह शिविर लगाया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शर्मा ने अध्यक्षता की। शिविर में मजदूरों को आलू पूड़ी के पैकेट, चने, मूंगफली, रेवड़ी के पैकेट, मिक्स नमकीन के पैकेट, छाछ, बिस्किट, पानी की बोतल, ओआरएस आदि दिए गए। शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन सिंह भूरिया, नगर निगम के विशेष मजिस्ट्रेट राकेश कुमार पाटीदार, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ भी मौजूद था।

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जा रही है प्रवासी मजदूरों की मदद

सत्ता सुधार|रायसेन

कोरोना वायरस महामारी से सभी परेशान हैं। इसी के चलते प्रवासी मजदूरों का पलायन निरंतर जारी है। इस महामारी में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आते जाते मजदूरों को भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसा से 21 से 25 मई तक रायसेन जिला मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन के द्वारा हेल्प डेस्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है जिसमें रोड पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को दूध चने सत्तू मुरमुरे बिस्किट पानी आदि का वितरण कार्यक्रम चल रहा है यह कार्यक्रम खरवई, गैरतगंज, दीवानगंज, बरेली इत्यादि जगहों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन के पैरा लीगल वालंटियर के द्वारा किया जा रहा है।यह पूरा कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन के सचिव श्री भूपेंद्र सिंह जी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की डीएलओ श्रीमती दिव्या भलावी के निर्देशन में किया जा रहा है चारों जगह खाद्य पदार्थ वितरण कार्यक्रम की मॉनिटरिंग पैरा लीगल वालंटियर संजय चौहान जी के द्वारा की जा रही है।

विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकोष्ठ ने दूसरे दिन भी वितरित की खाद्य सामग्री

बरेली।

विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली प्रकोष्ठ द्वारा दूसरे दिन भी प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री वितरित की। विधिक सेवा अधिकारी धीरज पाठक पैरालीगल वोलेंटियर्स नियामत मंसूरी श्रीमति अनिता जगदीश राय रामकुमार शर्मा द्वारा बाइपास रोड पर हरिहर ढाबे की चेकपोस्ट पर लगभग 50 60 प्रवासी मजदूरों एवं उनके बच्चों को खाद्यात्र एवम दूध सामग्री का वितरण किया श्रीमती अनीता जगदीश राय ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यप्रदेश की अनुसंशा पर जिले के राजमार्गों एवं तहसील स्तर पर यह पुनीत कार्य पैरालीगल वोलेंटियर्स द्वारा किया जा रहा है।

सरकार की योजनाओं से छूटे लोगों को भी दिला रहे लाभ

मदद पहुंचाने उतरी न्यायपालिका, 16 हजार जरूरतमंदों तक पहुंचाई राहत

कहीं राशन तो वाहन की अधिकारी करा रहे व्यवस्था

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

शहडोल. कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के बाद जिले में बाहर से आने वाले मजदूरों की मदद के लिए न्यायपालिका भी मैदान में है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शासन के समन्वय और स्वयं के प्रयास से अब तक 16 हजार मजदूरों को भोजन के साथ उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए साधन उपलब्ध करा चुका है। इसके लिए पैरालिगल वालंटियर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों को जिले में आने के बाद उन्हें मास्क, ग्लव्स और सेनिटाइजर भी दिया जा रहा है। मंगलवार को 210 लोग यूपी से कोंडा नाला पहुंचे। यहां पर पैरालीगल वालंटियर ने भोजन की व्यवस्था की। इसके बाद शासन के सहयोग से उन्हें भेजने के लिए साधन उपलब्ध करवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आरके सिंह के निर्देशन में अलग-अलग न्यायाधीश भी इस दिशा में लोगों की मदद कर रहे हैं।

तीन जगहों पर लगाए गए हैं शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाहर से आने वाले मजदूरों की मदद के लिए जिले में तीन चेक पाइंट पर तीन शिविर लगाए हैं। इसमें मोड़ना बाणगंगा तिराहा, बुढ़ार में बगिया होट कटकोना, ब्योहारी में बड़ेरी तिराहा शामिल हैं। इन जगहों पर दूसरे प्रदेशों से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मजदूर आ रहे हैं। इसमें ऐसे भी मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों के जाने वाले रहते हैं। साथ ही जिले के अंदर तथा दूसरे जिलों में जाने वाले भी शामिल हैं। मजदूरों के इन जगहों पर पहुंचने के बाद पैरालीगल वालंटियर उन्हें मास्क, ग्लव्स और सेनिटाइज कराते हैं। इसके बाद उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। फिर उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक जाने के लिए शासन के समन्वय से साधन उपलब्ध करवाया जाता है।

इस तरह की मदद कर रही टीम

- मजदूरों को आने-जाने और ठहरने की व्यवस्था करना।
- बाहर से आने और गुजरने वाले मजदूरों को खान-पान की व्यवस्था।
- निराश्रित और जरूरतमंद परिवारों को राशन के लिए पात्रता पर्ची उपलब्ध कराना।
- जरूरतमंद परिवारों के लिए बीपीएल और राशन की व्यवस्था करना।
- शहडोल में फंसे मजदूरों को वाहन की व्यवस्था करना।

शासन के समन्वय एवं स्वयं के प्रयास से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाहर से आने वाले मजदूरों की मदद कर रहा है। इसके लिए जिले में तीन चेक प्वाइंट पर शिविर लगाए गए हैं। अब तक 16 हजार मजदूरों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मदद की जा चुकी है।

एके त्रिपाठी, सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल।

बाहर से आने वाले मजदूरों की मदद के लिए उन्हें भोजन के साथ जाने के लिए शासन के समन्वय से साधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मजदूरों को मास्क और ग्लव्स भी उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। जिससे उन्हें सहूलियत होगी।

बीडी दीक्षित, जिला विधिक सहायता अधिकारी, शहडोल।

पत्रिका Thu, 21 May 2020
epaper.patrika.com/c/52098366

लीगल हेल्प डेस्क पर जिला न्यायाधीश मजदूरों को दे रहे चने-बिस्किट के पैकेट

भास्कर संवाददाता | सीहोर

बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन, परिवहन सुविधा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राइट टू लाइव एवं लाइव टू लिव के तहत काम किया जा सके, इसके निर्देश मिले हैं।

इसी के तहत जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर राज्यवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन में क्रिसेंट चौराहा इंदौर-भोपाल हाइवे रोड पर लीगल हेल्प डेस्क स्थापित कर पांच दिन के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हेल्प डेस्क में 19 से 23 मई तक सुबह 8 से रात 8 बजे तक चलेगी। हेल्प डेस्क में काम करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबद्ध पैरालीगल वालेंटियर को तैनात किया गया है। हेल्प डेस्क हाइवे से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को चना, मुरमुरा, बिस्किट के पैकेट, खाने के पैकेट एवं पानी के पाउच बांटे। इस काम में जिला प्रशासन एवं समाजसेवी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराते हुए।

पड़िया रहेगा। | कार्यों को करने से बचना चाहिए। | चाहिए।

लोनी में लगा शिविर

विधिक सेवा प्राधिकरण ने शिविर लगाकर प्रवासी मजदूरों को बांटी खाद्य सामग्री

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बुरहानपुर. पीड़ित प्रवासी मजदूरों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर के माध्यम से खाद्य सामग्री,पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र एस पाटीदार के मार्गदर्शन में शिविर लगाया गया।

अपर जिला न्यायाधीश नरेंद्र पटेल ने बताया कि शिविर के माध्यम से ग्राम लोनी मु?य मार्ग एवं जिले से लगी अन्य जिलो की सीमा पर पीड़ित प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए 5 दिनों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की। भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए मजदूरों को पीएलवी के माध्यम से जिला प्रशासन के सहयोग विधिक सेवा द्वारा बिस्किट, सेऊ, मुरमुरे, चने, पेयजल अन्य खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है।मजदूरों को कोरोना संक्रमण से बचाव और नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह दी जा रही है। जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल, वालेंटियर्स निलेश गजानन छत्रे, शुभम भारत विश्वकर्मा अन्य कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित थे।

लोनी में लगा हेल्प डेस्क।

थापना के जंगल में छिपा था हत्या का

पत्रिका Thu, 21 May 2020
epaper.patrika.com/c/52099270

विधिक सेवा समिति ने बांटी खाद्य सामग्री

पवई @ पत्रिका. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति पवई अंतर्गत बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को खाने पीने की व्यवस्था कराई गई। बताया गया कि आरके रावतकर अपर सत्र न्यायाधीश पवई, दशरथ प्रसाद दहायत पीएलव्ही, किशन कोरी पीएलव्ही पवई द्वारा अंतर जिला सीमा पर पहुंचकर दिल्ली, बिहार, गुजरात और पंजाब से लौटे प्रवासी मजदूरों को खाने-पीने की सामग्री प्रदान की।

इंदौर खंडपीठ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने प्रवासी मजदूरों को भोजन, मिठाई व जूते-चप्पल का वितरण किया

रजिस्ट्रार सिंह बोले- टीवी व अखबारों में मजदूरों की दयनीय हालत देख सेवा का निर्णय लिया

बिजली का तार टूटकर झाड़ियों में गिरा, लगी आग

कोरोना इफैक्ट : ट्रकों पर सवार श्र

हमें अब मुंबई और गुजरात वापस

The Hitava
JABALPUR ■ Wednesday ■ May 20 ■

DLSAs holding camps, providin relief aid to migrant labourers

■ Staff Reporter

TO CUT spread of pandemic COVID-19, the nation is in lock-down and groups of labourers from various states moving about on foot due to lack of proper transportation. In such circum-stances to protect right of life and personal dignity of labourers, Madhya Pradesh High Court ustice Sanjay Yadav and Executive Chairperson of Madhya radesh State Legal Service uthority (MPSLSA) have taken ognisance and instructed all dis-ict units to hold camps for igrant labourers and also to ovide relief material, edibles d drinking water to affected ople. In this regard, MPSLSA ember Secretary, Giribala Singh s written letters to all DLSA its in Madhya Pradesh to hold ef aid to migrant labourers egal assistance and help desk

MPSLSA Member Secretary, Giribala Singh with officials visiting Jabalpur DLSA's camp at Barela, recently.

camps at entry points of districts. She asked them to deploy social workers and paralegal volunteers for six hours in rotation.

The District Disaster Management Committee heads have been asked to issue passes for volunteers for these camps. Through all the district and session judges, all the Chief Judicial Magistrates and District Registrars of Civil Courts ha been asked to extend support

MPSLSA Member Secretar Giribala Singh, District ar Sessions Judge, Sanjay Shukla, K Singh, Deputy Secretar MPSLSA, Sharad Bhamkar, DLS District Legal Aid Officer, Prade Singh Thakur and Manis Kaushik inspected the camp Barela.

Scanned with CamScanner

2 TUESDAY, 19 MAY 2020 INDORE

HC team distributing essentials.

HC team distributes essentials in camp

PITHAMPUR

Staff Reporter

Principal Registrar Anil Verma of Indore Bench of High Court and Registrar Virendra Bahadur Singh with their support staff today reached at a camp near Sanjay Jalashay Pithampur to distribute essentials and food to the thousands of migrants passing by NH-3.

Registrar Virendra Bahadur Singh said that all the officials of the HC Indore bench, camped at 11.00 am today with food packets to the migrant labourers. Looking at very tough and pathetic condition of the migrant workers we are all moved and this is a human gesture.

Humanitarian support of similar nature was extended by the same team outside the Best Price store in Indore. We will continue to distribute this way in future also, wherever needed. In addition to this, Register Veer Bahadur Singh said that on a personal level Rs 21,000 thousand contributed to PM Care Fund. HC Indore staff has jointly contributed from their salaries to the PM care fund.

न्यूज कार्नर

जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराई सुविधाएं

जागरण होशंगाबाद। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने पांच दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर प्रारंभ किया है। जिसमें प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स प्रशासन के सहयोग से प्रवासियों को मास्क बाँटेंगे, सूखे खाद्य पदार्थ साथ ही उनकी सुगमता के आवागमन की व्यवस्था को भी सुचारू बनायेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश चंद्रेश कुमार खरे ने बताया कि प्रवासियों को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और जिला प्राधिकरण उनके इस अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उनके खाने-पीने, आवागमन की सुविधाओं की उचित व्यवस्था करेगा एवं इस कार्य में शासन के सहयोग से प्रत्येक संभव प्रयास करेगा। जिला प्राधिकरण के सचिव डीएस चौहान ने बताया कि प्रवासियों को उनके गंतव्य तक सुगमता से पहुँचाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

दैनिक आदित्य एक्सप्रेस
निर्भीक समाचार पत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को अन्तिम दिन प्रवासी मजदूरों को बांटे खाद्यान्न के पैकेट

मुरैना। विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना द्वारा शुक्रवार को 5वें दिन यानी अन्तिम दिन आझ्वेली चैक पोस्ट पर आने वाले प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न के निःशुल्क पैकेट वितरित किये गये।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चलाये गये इस विशेष 5 दिवसीय अभियान के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता के मार्गदर्शन में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री बीके गुप्ता की उपस्थिति 18 मई को प्रवासी मजदूरों के लिये नालसा आपदा पीड़ितों के विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 21 मई गुरूवार को कुटुम्ब न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश श्री सतीशचन्द्र शर्मा ने चौथे दिन 200 भोजन के पैकेट, 800 पानी के पाउच, 50 किलो केले, 210 पैकेट बिस्किट, 25 कोल्ड्रिंग प्रवासी मजदूरों को वितरित की गई। शुक्रवार 22 मई को भी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बीके गुप्ता मुरैना एवं स्टाफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना द्वारा अंतिम 5वें दिन भी मध्यप्रदेश राजस्थान अंतराज्जीय सीमा प्रवेश द्वार पर स्थित आझ्वेली चैक पोस्ट पर उपस्थित एवं आने वाले प्रवासी मजदूरों, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल एवं बसों से अपने गृह जिलों में जाते हुये प्रवासी मजदूरों को बिस्किट, मुरमुरे, चना, नमकीन सेव के पैकेट एवं साबुन आदि वितरित किये गये साथ ही शिविर स्थल पर पीने के लिये शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई। विधिक साक्षरता शिविर के पांच दिवसीय कार्यक्रम के उपरांत भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना द्वारा प्रवासी मजदूरों की हर संभव मदद की जायेगी।

मुरैना जिले में शुक्रवार को 1 हजार 575 प्रवासी मजदूर आये

मुरैना। कोरोना वायरस की महामारी से अन्य प्रांतों में फंसे प्रवासी मजदूरों में से शुक्रवार को मुरैना जिले की स्थापित चार चैक पोस्टों पर 1 हजार 575 मजदूर अपरान्ह 3 बजे तक आये।

संयुक्त कलेक्टर श्री एलके पाण्डे की जानकारी के अनुसार सर्वाधिक 916 प्रवासी मजदूर आझ्वेली चैक पोस्ट पर आये। निराव्ली चैक पोस्ट पर 586, अटारघाट पर 44 तथा सुधारा चैक पोस्ट पर 29 मजदूर आये। इन 1 हजार 575 प्रवासी मजदूरों में से 875 मजदूरों को 26 बसों में बिठाकर उनके गृह जिला मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के लिये भेजा गया। शेष 700 प्रवासी मजदूर मुरैना के ही पाये गये, जिनका थर्मल स्कीनिंग कर नाम, पता, मोबाइल सूची में अंकित कर उनके घरों पर अन्य साधनों से भेजा गया। यह सूची 700 मजदूरों की संबंधित विकासखण्डों को भेजी जा रही है। जिससे उनका स्वास्थ्य परीक्षण समय-समय पर हो सके और कोविड-19 के नियम के तहत 14 दिन होम क्वारंटाइन रह सकें।

प्रवासियों के लिये खाद्य सामग्री वितरित करने लगे पांच दिवसीय शिविर का हुआ समापन

जागरण होशंगाबाद। जिले से निकल रहे प्रवासियों को खाद्य सामग्री वितरित किये जाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे पांच दिवसीय शिविर का शुक्रवार को समापन किया गया। उल्लेखनीय है कि यह शिविर मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा था। जो 18 मई से प्रारंभ हुआ था। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष चंद्रेश कुमार खरे के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे इस शिविर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से साथ ही देश भर से आ रहे प्रवासियों को खाद्य सामग्री एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही थी। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डीएस चौहान, जिला विधिक सहायता अधिकारी सनातन सेन, पैरालीगल वालेंटियर आलोक शर्मा, संजय अग्रवाल, सचिन सराठे शामिल रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हेल्प डेस्क लगाकर प्रवासी लोगों की जा रही मदद

देवास (निप्र)। कोरोना महामारी की स्थिति में पलायन कर जिले से गुजर रहे प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्री डीके पालीवाल के मार्गदर्शन में देवास-इंदौर रोड स्थित अरगास गार्डन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हेल्पडेस्क लगाई गई। हेल्प डेस्क पर लगातार प्रवासी श्रमिकों के लिए सेनिटाइजर, पेयजल एवं मास्क की व्यवस्था की गई एवं वालंटियर्स द्वारा उक्त सुविधाएं आवश्यकता अनुसार आगंतुकों को उपलब्ध कराई गई।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री शमरोज खान ने बताया कि गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों की सहायता और उन्हें जागरूक करना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है और इसके लिए हेल्पडेस्क स्थापित की गई है। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपायों एवं उन्हें प्रदत्त सहायताओं एवं विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर जिला रजिस्ट्रार श्री हेमराज सनोड़िया भी उपस्थित थे। उन्होंने सभी को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शमरोज खान ने डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा से चर्चा कर उन्हें हेल्पडेस्क के कार्यों से अवगत कराया एवं पलायन कर रहे प्रवासी श्रमिकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास की ओर से हरसम्भव सहायता प्रदत्त किये जाने के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर डीपीओ सुश्री शक्ति रावत, वालंटियर श्री संदीप राय, श्री अंकित बढ़िया ने हेल्पडेस्क पर प्रवासी श्रमिकों की सहायता की जा रही है।

किशोरी को अगवा कर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म : आरोपी को जेल भेजा

टीकमगढ़ (निप्र)। एक किशोरी को अगवा कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस से मिली जानकारी के

प्रजातंत्र
इंदौर, शनिवार
23 मई 2020

हाई कोर्ट जज प्रकाश श्रीवास्तव भी प्रवासी मजदूरों को राहत सामग्री वितरित करने पहुंचे बायपास

नगर संवाददाता | इंदौर

इंदौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बायपास पर राऊ सर्कल स्थित राहत शिविर में शुक्रवार को मप्र है कोर्ट इंदौर के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने मजदूरों को खान पान की सामग्री भेंट की।

इंदौर-देवास बायपास पर लॉक डाउन के कारण अपने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों की सहायता एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हाई कोर्ट प्रिंसिपल बेंच जबलपुर) के निर्देश पर जिला कोर्ट इंदौर से सम्बद्ध इंदौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से राऊ सर्कल पर अयोजित शिविर में शुक्रवार जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के सचिव एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक शुक्रवार को जस्टिस श्रीवास्तव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शर्मा के हाथों मजदूरों को खाने-पीने की सामग्री का वितरण किया गया। श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाइश दी। शुक्रवार को भी न्यायिक अधिकारियों की पत्नियों के लेडीज क्लब के सहयोग से भी प्राप्त सामग्री वितरित की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन सिंह भूरिया, नगर निगम के विशेष मजिस्ट्रेट राकेशकुमार पाटीदार, जिला रजिस्ट्रार महेंद्र सिंह पाल भी उपस्थित थे।

सामग्री वितरण करते न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव।

विधिक प्राधिकरण ने न्यायाधीशों के साथ राजस्थान सीमा पर मजदूरों को बांटी मदद

ग्वालियर। विधिक प्राधिकरण मुरैना ने जिला न्यायाधीश पीसी गुप्ता के साथ मध्यप्रदेश, राजस्थान सीमा पर मजदूरों को खाने-पीने का सामान सहित अन्य प्रकार की मदद बांटी। इसके अलावा कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लोगों को जागरुक करने का भी काम कर रहे हैं। हाईवे पर पैदल चलकर आ रहे मजदूरों को भी स्वयं की सुरक्षा की जानकारी भी दी। मुरमुरे, बिस्कुट, चना इत्यादि चीजें वितरित की गईं। सतीश चन्द्र शर्मा प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, एसडीएम, तहसीलदार ने भी सहयोग किया। इस मौके पर 200 पैकेट भोजन 210 पैकेट बिस्कुट, 25 कोल्डड्रिंक, बटवाई है।

उमरिया–शहडोल नेशनल हाईवे पर लगाया गया शिविर

उमरिया।

मध्यप्रदेश रा'य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गत दिवस प्रवासी मजदूरो के आवागमन को सुप्रवाही बनाने हेतु तथा उन्हे भोजन एवं पीने हेतु पानी का प्रबंध करने हेतु विशेष शिविर उमरिया शहडोल नेशनल हाईवे पर गोटिया पेट्रोल पंप के पास लगाया गया है जिसमें प्रवासी मजदूरो के लिए शेतु, चीनी, चना, मुरमुरे तथा पेय जल का प्रबंध किया गया है। गत दिवस 36 प्रवासी मजदूरो को सहायता दी गई है । अशरफ अली द्वारा मध्यप्रदेश रा'य विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशानुसार उपरोक्त कार्य के. लिए पैरालीगल वॉलेंटियर की ड्यूटी लगायी गयी है, जो प्रवासी मजदूरो को भोजन साम्रगी का वितरण तथा जिला अस्पताल उमरिया तथा जिला जेल उमरिया के बंदियो द्वारा निर्मित की गई मास्क का भी वितरण कर रहे है जिला जेल उमरिया के जेल अधीक्षक मरावी द्वारा बंदियों द्वारा निर्मित 50 मास्क जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये थे।

हरिभूमि
जबलपुर - सतपुड़ा भूमि
Date - 22 May'20

न्यायाधीश ने प्रवासी मजदूरों को प्रदान की सामग्री

हरिभूमि न्यूज कटंगी।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट राजाराम भारतीय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद प्रिय राहूल के निर्देशन पर व्यवहार न्यायालय कटंगी माननीय न्यायाधीश देवरथ सिंह ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं ग्राम सेलवा तथा अगासी के स्कूलों में ठहरे प्रवासी श्रमिकों को आवश्यक सामग्री का वितरण किया. न्यायालयीन कर्मचारी देवेन्द्र ठाकरे ने बताया कि कन्या शाला स्कूल में 40 प्रवासी श्रमिकों को नहाने का साबुन, नाश्ते के लिए सत्तु, बिस्कैट पैकेट एवं बच्चों को ग्लूकोनडी के पैकेट वितरीत किये गये. इस दौरान परियोजना अधिकारी पुष्पेन्द्र रानाडे एवं न्यायालय के कर्मचारीगण मौजूद रहे. इसी तरह ग्राम सेलवा एवं अगासी के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों को जरूरत की सामग्री का वितरण किया गया।

विधिक सेवा समिति द्वारा की जा रही सहायता

लीगल हेल्प डेस्क स्थापित कर किया जा रहा जागरुक

जागरण बुधनी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार लाईव टु लिव योजना के तहत प्रवासी मजदूरों की गतिविधियो को सुव्यवस्थित करने के संबंध मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश प्राप्त हुए है इस संबंध मे जिला न्यायाधीश राजवर्धन गुप्ता के द्वारा त्वरित कार्य करते हुए सीहोर जिले की समस्त तहसील विधिक सेवा समिति को अविलंब प्रवासी मजदूरो की सहायता करने के आदश प्रसारित हुए है। इसी तारतम्य मे तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा तहसील बुधनी स्थित है: घरा बुधनी, होशंगाबाद सीमा पर लीगल हेल्प डेस्क स्थापित कर 5 दिन के लिये विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हेल्प डेस्क बुधनी मे सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक संचालित रहेगी। जिससे हाईवे से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरो की मदद की जा रही है। सर्वप्रथम समिति द्वारा मजदूरो के हाथो को सैनेटाइजर कराया गया उसके उपरांत उन्हे बिस्कुट, ग्लूकोज व सत्तु के पैकेट वितरित किए गए। इस शिविर के तहत प्रवासी मजदूरो व श्रमिको को आवश्यक विधिक जानकारी भी प्रदाय की जा रही है तथा एडीजे अभिषेक गौड़ के निर्देशन मे इस पुनित कार्य को करने मे पेरालीगल वालिन्टियर्स कुमारी दीपी यादव, देवेन्द्र साहू के अतिरिक्त न्यायालय कर्मचारी मनोहर शर्मा, दीपक राजपूत, शेखर मिश्रा, नीरज गुप्ता,सुमित गौर आदि ने सहयोग प्रदान किया । प्रवासी मजदूरो को सहायता पहुंचाने के कार्य मे अस्थायी पुलिस चौकी पर उपस्थित थाना प्रभारी संध्या मिश्रा एएसआई, संध्या शुक्ला व पुलिसकर्मी आरक्षक द्वारा ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई। समिति द्वारा आगामी कार्य दिवस की योजना तैयार है जिसके तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न किया जाना है।

श्रमिकों की मदद के लिए आगे आया विधिक सेवा प्राधिकरण

रायसेन। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों पर प्रवासी मजदूरों के पलायन को देखते हुए उनको खाने पीने की चीजें वितरित करने का प्रावधान किया गया है रायसेन में भी सभी तहसील मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत पीएलवी के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है रायसेन जिले में खरवाई गैरतगंज बरेली और दीवानगंज में 5 दिन का विशेष खाद्य पदार्थ वितरण कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी संजय चौहान सुनीता आर्य अनीता चौहान निशा गौर संध्या गौर नियामत मंसूरी राम कुमार शर्मा अनिता राय सारिक पाशा आदि ने खाद्य सामग्री का वितरण किया है ।

Date: 21/05/2020, Page: 2, City: Bhopal
URL: epaper.rashtriyahindimail.in
राष्ट्रीय हिन्दी मेल

मजदूरों की समस्या के लिए दो हेल्पडेस्क स्थापित की गई

राज एक्सप्रेस

जावरा (आरएनएन)। मध्यप्रदेश रा%य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से प्राप्त निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम म.प्र. शोभा पोरवाल के मार्गदर्शन में कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप घोषित लॉकडाउन में रतलाम जिले के अंतर्गत सीमा से गुजरने वाले प्रत्येक प्रवासी मजदूरों को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए। इसी उद्देश्य से तहसील विधिक सेवा समिति जावरा के माध्यम से तहसील में दो स्थानों को चिंहित करते हुए माननखेड़ा टोल एवं जावरा चौपाटी पर हेल्पडेस्क स्थापित की गई है।

हेल्पडेस्क से प्रवासी मजूदरों की सहायता के लिए माननखेड़ा टोल नाके पर पैरालीगल वालेंटियर स्वाती व्यास एवं चौपाटी पर स्थापित हेल्पडेस्क पैरालीगल वालेंटियर युवराजसिंह राणावत को नियुक्त किया। जहां ये दोनो वालेंटियर किसी भी प्रवासी मजदूर को कोई समस्या हो या सहायता की आवश्यकता हो तो उक्त वालेंटियर हेल्पडेस्क पर संपर्क कर सहायता ले सकते है।

उमरिया–शहडोल नेशनल हाईवे पर लगाया गया शिविर

उमरिया।

मध्यप्रदेश रा'य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गत दिवस प्रवासी मजदूरो के आवागमन को सुप्रवाही बनाने हेतु तथा उन्हे भोजन एवं पीने हेतु पानी का प्रबंध करने हेतु विशेष शिविर उमरिया शहडोल नेशनल हाईवे पर गोटिया पेट्रोल पंप के पास लगाया गया है जिसमें प्रवासी मजदूरो के लिए शेत्तु, चीनी, चना, मुरमुरे तथा पेय जल का प्रबंध किया गया है। गत दिवस 36 प्रवासी मजदूरो को सहायता दी गई है । अशरफ अली द्वारा मध्यप्रदेश रा'य विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशानुसार उपरोक्त कार्य के. लिए पैरालीगल वॉलेंटियर की ड्यूटी लगायी गयी है, जो प्रवासी मजदूरो को भोजन साम्रगी का वितरण तथा जिला अस्पताल उमरिया तथा जिला जेल उमरिया के बंदियो द्वारा निर्मित की गई मास्क का भी वितरण कर रहे है जिला जेल उमरिया के जेल अधीक्षक मरावी द्वारा बंदियों द्वारा निर्मित 50 मास्क जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये थे।

FORMAT FOR MONITORING OF ASSISTANCE PROVIDED TO MIGRANTS DURING LOCKDOWN

S.No.	Name of District	Time	Name of service provider NGO/PLV	No. of migrants attended	Particulars of facilities provided	Approx. cost inclusive of cost incurred by coordinating agencies/ service provider
1	Alirajpur	10:00 am - 05:00 pm	DLSA & PLVs	330	Chana, Murmura, Biscuit, Water, Sanitizer	5000
2	Anuppur	05:00 am - 05:00 pm	DLSA & PLVs	4085	Chana, Murmura, Biscuit, Poha	20000
3	Ashoknagar	05:00 am - 05:00 pm	DLSA & PLVs	720	Chana, Murmura, Biscuit, Water, Food packets	4000
4	Betul	07:00 am - 01:00 pm	DLSA & PLVs	1026	Chana, Murmura, Water, ORS	17350
5	Balaghat	10:00 am - 04:00 pm	DLSA & PLVs	774	Murmura, Chana, Gud, Water	17650
6	Burhanpur	10:30 am - 04:00 pm	DLSA & PLVs	380	Chana, Murmura	Nil
7	Chhatarpur	10:30 am – 02:30 pm	DLSA & PLVs	375	Drinking water, Chana, Sattu, Biscuit	9000
8	Dhar	11:00 am - 02:00 pm	DLSA & PLVs	350	Bhel, Sev mixture, Water	4000
9	Indore	09:00 am	DLSA, PLVs & NGO	5905	Chana, Murmura, Namkeen, Biscuit, Mask, Handgloves, Water, Fruits, Food packets, Buttermilk	29400
10	Dewas	12:00 pm – 11:00 pm	DLSA PLVs & NGO	18700	Chana, Murmura, Food packets, Biscuit, ORS, Water	3100
11	Datia	11:00 am – 03:00 pm	DLSA PLVs & NGO	12150	Chana, Biscuit, Water, Food	3600
12	Gwalior	07:00 am –	DLSA & PLVs	5100	Food packets, Water	8200

14	Morena	11:00 am - 05:00 pm	DLSA & PLVs	1970	Chana, Murmura, Biscuit, Soap, Water	19080
15	Sagar	02:00 pm - 05:00 pm	DLSA & PLVs	400	Chana, Murmura, Fruits, Water	4260
16	Sehore	08:00 am - 08:00 pm	DLSA, PLVs	8319	Chana, Murmura, Fruits, Biscuits, Water	Nil
17	Shajapur	11:00 am - 02:00 pm	DLSA & PLVs	5000	Chana, Murmura, Biscuit, Water pouch, Chips, Banana, Buttermilk pouch	17000
18	Shahdol	07:00 am - 07:00 pm	DLSA & PLVs	2721	Chana, Murmura, Fruit, Water	30500
19	Sidhi	08:00 am	DLSA & PLVs	626	Chana, Murmura, Banana, Water	17300
20	Singrauli	07:00 am - 06:00 pm	DLSA, PLVs & NGO	133	Chana, Murmura, Namkeen, Watermelon, Water	8500
21	Guna	08:00 am	DLSA & PLVs	2250	Biscuit, Murmura, Water, Glucose	46231
22	Tikamgarh	07:00 am - 02:00 pm	DLSA & PLVs	902	Gud, Chana, Sattu, Biscuit, Water	14300
23	Hoshangabad	12:20 pm - 03:00 pm	DLSA & PLVs	461	Biscuit, Sattu, Mineral Water, Biscuit	11735
24	Katni	09:00 am - 09:00 pm	DLSA & PLVs	4395	Chana, Murmura, Sattu, Water, Food packets	56650
25	Mandla	11:00 am - 05:00 pm	DLSA & PLVs	320	Chana, Murmura, Sattu, Water, Food packets	1800
26	Dhar	11:00 am - 02:00 pm	DLSA & PLVs	350	Bhel, Sev mixture, Water	4000
27	Seoni	11:00 am - 05:00 pm	DLSA & PLVs	1110	Glucose, Chana, Murmura, Biscuit, Water	14202

28	Sheopur	04:00 pm- 10:00 pm	DLSA & PLVs	313	Chana, Murmura, Fruits, Water, Nmakeen, Sattu, Soap	18780
29	Shivpuri	02:15 pm - 04:15 pm	DLSA & PLVs	1025	Sattu, Food packets, Water	13960
30	Rewa	08:00 am - 05:00 pm	DLSA, TLSCs & PLVs	4621	Chana, Murmura, Biscuits, Fruits, Water, Food packets	63880
31	Mandsaur	08:00 am - 08:00 pm	DLSA & PLVs	2025	Chana, Murmura, Fruits, Food packets, Water	4694
32	Mandleshwar	11:00 am - 07:00 pm	DLSA & PLVs	1805	Chana, Murmura, Biscuit, Water	12600
33	Ujjain	10:00 am - 05:00 pm	DLSA & PLVs	210	Chana, Murmura, Milk packet, Water, Food packets	8000
34	Umaria	08:00 am - 07:00 pm	DLSA & PLVs	336	Chana, Murmura, Biscuit, Sasttu, Water	2472
	total			90567		502144

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

न्याय आपके द्वार

हेल्पलाइन नंबर : 15100

तहसील, जिला एवं उच्च न्यायालय में विधिक सहायता उपलब्ध